न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.
केम्प – पोटलाकलां

प्रकरण संख्या 121/2015 दिनांक 18–06–2018

उनवान

उदयराम पिता उंकार गाडरी वयस्क निवासी पोटलाकलां भदेसर जिला चित्तौडगढ

................वादी

।। बनाम ।।

1. कालू पिता उंकार गाडरी वयस्क निवासी पोटलाकलां भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. शंकर पिता उंकार गाडरी वयस्क निवासी पोटलाकलां भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. रूपी बेवा उंकार गाडरी वयस्क निवासी पोटलाकलां भदेसर जिला चित्तौडगढ
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

............प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 88,89,188209 आर.टी.ए.
उपस्थित – श्री रईस मोहम्मद वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि –वादी मौजा पोटलाकलां का स्थायी निवासी है पेशे से सद्भावी काश्तकार है वादी के काश्त हेतु मौजा पोटलाखुर्द में कृषि आराजीयात स्थित है जो साबिक सेटलमेन्ट में जमाबन्दी 2057 से 2060 की खाता संख्या 41 की आराजी नम्बर 57/11 रकबा 05 बीघा दर्ज रेकार्ड चली आ रही है यह आराजीयात वादी के पिता उंकार पिता किशना के साबिक सेटलमेन्ट में खातेदारी में दर्ज रेकार्ड रही व साबिक सेटलमेन्ट में इसी गांव के एक अन्य व्यक्ति उंकार , तुलछा पिता किशना व केशी बेवा किशना गाडरी के खात संख्या 07 में अंकित आराजी नम्बर 7 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड रही व साबिक सेटलमेन्ट में उंकार पता किशना की मृत्यु होने से उनके वारिसान के नाम पर विरासती नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 13.12.1996 स्वीकृत किया गया जिसमें वादी के खातेदारी की खतोनी संख्या 03 में दर्ज आराजी नम्बर 57/11 जिसका ख... ...लग होकर उस वक्त भी जीवित थे व वादी के पिता के दादा का नाम चेना गाडरी ... ...दादा का नाम अलग था जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:41:03 IST
Reason: SelfAttested

18.6.18
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

स्पष्ट है कि दोनों खातेदार अलग अलग रहें है फिर भी खतौनी संख्या 04 सवत् 2057 से 2060 में विरासत का ना0क0 स्वीकृत करते वक्त उक्त ना0क0 के खाता संख्या 03 में दर्ज आराजी नम्बर 57/11 रकबा 05 बीघा भी मृतक उंकार गाडरी के वारिसान के नाम दर्ज कर दी जबकि खाता संख्या 03 में दर्ज आराजी नम्बर 57/11 रकबा 05 बीघा का खातेदार वक्त ना0क0 जीवित होकर अलग थे व मृतक उंकार खाता अलग है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 140 आराजी नम्बर 57/11 रकबा 5 बीघा का विरासती नामान्तरकरण वादी के पिता के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य प्रभावी होकर वादी साबिक आराजी नम्बर 57/11 रकबा 05 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 54 रकबा 1.08 हैक्टयर वादी अपने पक्ष में घोग्णात्मक डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है । वादी साविक सेटलमेन्ट में ही अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 57/11 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है फिर भी अन्य खातेदार उकांर पिता तुलछा जिसकी मृत्यु होते ही उनके वारिसान के नाम पर खाता संख्या 04 व 06 का विरासती ना0क0 स्वीकृत करते वक्त आराजी नम्बर 57/11 रकबा 05 बीघा भूमि जो वादी के पिता के खाते में दर्ज चली आ रही थी को भी मृतक उंकार पिता तुलछा के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज कर दी गई जो वादी के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है जिससे वादी राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराये का अधिकारी होने से यह वाद प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार फरमाया जावे । तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजीयात उनके नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजीयात को दौराने वाद हस्तान्तरण नहीं करें न करावें ।

प्रकरण वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, की ओर से वील श्री प्रवीण जोशी ने वकालत नामा पेश किया गया पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वादोत्तर प्रस्तुत नहीं करने से जवाबदावा पेश करने का अवसर बन्द किया गया तत्पश्चात् प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में भाग नहीं लिया गया । पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत केम्प दिनांक 18-6-2018 को राजीनामा के सुचना पत्र जारी किये किन्तु प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपरिथत रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये । प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से नकल जमाबन्दी [illegible] खाता संख्या 6 संवत् 2070 से 2073, प्रदर्श-1 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-2 ना0क0 संख्या [illegible] मौजा पोटलाखुर्द दिनांक 12.12.1996

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:41:03 IST
Reason: SelfAttested

18.6.18
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

प्रदर्श3, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 4 संवत् 2041 से 2044 प्रदर्श 3 ए, नकल जमाबन्दी खाता संख्य। 41 संवत् 2041 से 2044 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 6 संवत् 2045 से 2048 प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 4 संवत् 2045 से 2048 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 2 संवत् 2043 से 2046 प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 2 संवत् 2057 से 2050 प्रदर्श 8, ना0क0 संख्या 118 दिनांक 19.5.83, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 5 संवत् 2057 से 2050 प्रदर्श 10, , खाता पास बुक की फोटो प्रति उकांर पिता किशना गाडरी ,फोटो प्रति राशन संख्या 00045 उदयलाल पिता उंकार गाडरी फोटो प्रति राशनकार्ड उंकार पिता किशना गाडरी 00054,निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति उंकार पिता किशना ,फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र उकांर पिता किशना मृत्यु दिनांक 14.9.2014 , ग्राम पंचायत पोटलाकलां द्वारा वादी उदयराम पिता औकार गाडरी का आ0न0 57/11 रकबा 5 बीघा पर काबिज काश्त होने के समर्थन में प्रमाण पत्र दिनांक 18–6–2018 ,शपथ पत्र उदयराम पिता उंकार गाडरी ,शपथ पत्र कनीराम पिता भेरा गाडरी निवासी पोटलांखुर्द, शपथपत्र लालसिहं पिता चतरसिहं राजपूत निवासी पोटलाखुर्द ।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी मूलतः विवादित आराजीयात 57/11 मिसल नम्बर 24/71 से उंकार पिता किशना गाडरी को आवंटन हुई थी जो गैर खातेदार की हैसीयत से जमाबन्दी संवत् 2041 से 2044 के खाता संख्या 41 पर दर्ज हुई जिनके दादा का नाम चेना गाडरी था । संवत् 2045 से 2048 के खाता नम्बर 4 पर यह भूमि खातेदारी हक से उंकार पिता किशना गाडरी के नाम अंकित हुई जिनके दादा का चेना गाडरी था । संवत् 2053 से 2057 के खाता नम्बर 3 पर भी उक्त खसरा नम्बर 57/11 रकबा 5 बीघा खातेदारी से दर्ज हुई । उपरोक्त जमाबन्दी में ही नामान्तरण संख्या 140 से यह भूमि कालू शंकर पिता उंकार रूपी बेवा उंकार गाडरी के नाम अंकन कर दिया जो उंकार पिता किशना को मृत बताकर खाला वह उंकार पिता किशना दादा चेना के बजाय उंकार पिता किशना दादा गंगाराम था ना कि उंकार पिता किशना चेना इस प्रकार जिवित व्यक्ति उंकार पिता किशना दादा गांगराम के वारिसान के नाम ना0क0 खोला गया तथा वास्तविक मृत उंकार पिता किशना दादा चेना के वारिसान के नाम ना0क0 नहीं खुला इस प्रकार वादी अपने खातेदारी हकों से वंचित चल रहा है जो वादी प्राप्त करने के अधिकारी है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं [illegible] साबित कराया गया कि ग्राम पोटलाखुर्द में एक ही नाम उंकार पिता किशना गाडरी नाम [illegible] व्यक्ति थे प्रथम उंकार पिता किशना गाडरी जिसके दादा का नाम चेना था द्वितीय उंकार पिता किशना गाडरी जिसके दादा का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:41:03 IST
Reason: SelfAttested

18.6.18
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

गंगाराम था मृतक उंकार पिता किशना गाडरी जिसके दादा का नाम चेना जो कि वादी के पिता थे उसके नाम विरासत नहीं खोली जाकर तत्समय जिवित उंकार पिता किशना गाडरी जिसके दादा का नाम गंगाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम खोली गई राजस्व कर्मियों द्वारा बिना जांच पडताल किये की गई विरासत की कार्यवाही त्रृटिपूर्ण थी जिससे राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो चुकी । जबकि उंकार पिता किशना गाडरी जिसके दादा का नाम गंगाराम का मृत्यु दिनांक 14.9.2014 को हुई है तथा पूर्व में उंकार गाडरी का ना0क0 खोला गया वह दिनांक 13.2.1996 को खोला गया प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर भी प्रस्तुत नहीं किये जाने वाद के तथ्यों की पुष्ठि होती है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा पोटलाखुर्द पटवार हल्का पोटलाकलां की साबिक खाता संख्या 41 की साबिक आराजी नम्बर 57/11 रकबा 05 बीघा हाल आराजी नम्बर 54 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि वादी उदयराम पिता उंकार दादा किशना परदादा चेना गाडरी के खातेदारी की घोषित की जाती है तथा सहवन से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुए खातेदारान् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 क्रमशः कालू, शंकर पिता उंकार गाडरी ,रूपी बेवा उंकार गाडरी का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है उक्त आराजीयात को अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें न अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(पांच्रीलाल रेगर) 18.6

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

भदेसर, जिला-चित्तौडगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:41:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner